


परिशिष्ट-अ


(परिशिष्ट-अ)

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2001 अतारांकित.

क्रमांक	शिकायकर्ता का नाम एवं शिकायत की संक्षिप्त विषयवस्तु	जांच कार्यवाही की अद्यतन स्थिति
1	श्री शंकर लाल सेन, सिवनी द्वारा श्री एस.के. उपाध्याय कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड जबलपुर को निलंबित किये जाने के संबंध में मण्डी सिवनी, छिंदवाड़ा में विकास कार्य ठप्प करने, ठेकेदारों से कमीशन लेने, निविदाओं की स्वीकृति में विलंब/निरस्त करने से आर्थिक हानि होने आदि विषयक शिकायत की गयी है।	मंडी बोर्ड के पत्र दिनांक 09.08.11 से श्री व्ही के. वैष्णव अधीक्षण यंत्री मुख्यालय भोपाल को जांच सौंपी गई है, जिसका जाच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
2	श्री अनिल जैन आर.टी.आई कार्यकर्ता जबलपुर द्वारा श्री शिव कुमार उपाध्याय द्वारा फर्जी वरिष्ठता प्राप्त कर कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने, निर्माण कार्य में अनियमितता, कमीशन लेने आदि विषयक शिकायत की गयी है।	मंडी बोर्ड के पत्र दिनांक 19.02.17 से मुख्य अभियंता मुख्यालय भोपाल को जांच सौंपी गई है, जिसका जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
3	श्री प्रदीप जैन वरिष्ठ पत्रकार एम.पी. नगर भोपाल द्वारा श्री शिव कुमार उपाध्याय कार्यपालन यंत्री द्वारा भ्रष्टाचार करने, न्यायालयीन स्थगन समाप्त होने पर निलंबित नही करने आदि विषयक शिकायत की गयी है।	मंडी बोर्ड के पत्र दिनांक 06.10.16 से मुख्य अभियंता मुख्यालय भोपाल को जांच सौंपी गई है, जिसका जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

अपर संचालक द्वारा अनुमोदित।

  
**अनुभाग अधिकारी**  
 मध्य प्रदेश शासन,  
 विकास कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,  
 मंत्रालय, भोपाल

  
 उप संचालक (सतर्कता)  
 ९